छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण [redacted]याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स [redacted]री रायपुर

<u>अधिसूचना</u>

दिनांक 06/05/2013

क्रमांक 28 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–श्शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिसूचना क्रमांक 09 , दिनांक 26.11.2012 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना , अधिसूचना क्रमांक एफ–10.30/2010/16, ,दिनांक 25.11.2010, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना, अधिसूचना क्रमांक एफ–10–30/2010/16 दिनांक 01.10.2010 मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना तथा अधिसूचना क्रमांक 10–4/2010/16 दिनांक 04.03.2010 नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :–

1.–मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना :–

(ई) स्वीकृति का अधिकारः–

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक होगा ।

2.–मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना

(द) स्वीकृति का अधिकारः–

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक को होगा ।

3.–मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना

(द) स्वीकृति का अधिकारः–

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक को होगा ।

4.—मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना

(द) स्वीकृति का अधिकारः—

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक को होगा ।

5.—नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना

(द) स्वीकृति का अधिकारः—

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक को होगा ।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(श्रीमती सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण
कर्मकार कल्याण, मण्डल

पृष्ठांकन क0 / / 298 - 306 रायपुर, दिनांक 06/05/2013

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रम सचिव, सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त कार्यालय के उपश्रमायुक्त रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.................... (छ0ग0)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा..................... (छ0ग0)
9. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां मण्डल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण
कर्मकार कल्याण, मण्डल

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

<u>अधिसूचना</u>

दिनांक 26/11/2012

क्रमांक......09............ "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ0ग0 भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

(अ) **योजना का प्रावधान :–**

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर, कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना ।

(ii) योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित ट्रेड का प्रशिक्षण यथा राजमिस्त्री, प्लंबर, पेंटर, पीओपी, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, एसी रेफ्रिजरेशन, कारपेन्टर इत्यादि तथा कम्प्युटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, मोबाईल रिपेयरिंग, ब्यूटीशियन, ड्राईविंग, आटोमोबाईल, सुरक्षा गार्ड, एवं समय–समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मण्डल द्वारा पंजीकृत हितग्राहियों एवं उनके परिवार के सदस्यो को प्रशिक्षण दिया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अनुरूप प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी। (पूर्व में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10–33/2010/16, रायपुर, दिनांक 29.11.2010 द्वारा अधिसूचित मुख्यमंत्री राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना को भी इस योजना में शामिल किया जाता है।)

(iv) **योजना का स्वरूप**

(अ) पंजीकृत निर्माण मजदूर के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण।

(ब) पंजीकृत निर्माण मजदूरों जिस ट्रेड में कार्य करते है, उसका प्रमाण पत्र

प्रदाय करना। (DIRECT CERTIFICATION)

(स) पंजीकृत निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्यों को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित करना।

(परिवार से तात्पर्य पंजीकृत श्रमिक के पत्नि/पति एवं बच्चे)

(द) ट्रेड वाईज आवश्यकतानुसार अंग्रेजी का प्रशिक्षण आवश्यक होगा।

(v) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

) **योजना हेतु पात्रता :–**

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा।

(ii) यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(iii) योजना हेतु आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया**

(i) आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा।

(ii) निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्य की स्थिति में सदस्य एवं पंजीकृत श्रमिक दोनों के हस्ताक्षर होंगे।

(iii) आवेदन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iv) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

(द) **योजना हेतु व्यय :–**

(i) प्रशिक्षण के दौरान पंजीकृत श्रमिकों को छात्रवृत्ति (जो उपस्थिति के आधार पर अकुशल श्रमिक को देय न्यूनतम वेतन के बराबर होगा) एवं प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा। यह लाभ पंजीकृत श्रमिकों को देय होगा, न कि परिवार के सदस्यों को।

प्रशिक्षण के विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का दर मण्डल द्वारा निर्धारित किया जावेगा। भविष्य में केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा प्रशिक्षण योजना हेतु अनुदान प्रदाय किया जाता है, तो उसका समायोजन किया जावेगा।

(ई) **स्वीकति का अधिकार :–**

(ब) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा।

(क) विसंगति का निराकरण–

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जायेगा।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 07.09.2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी ।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृष्ठांकन क्र0 / / 5033 रायपुर, दिनांक 26/11/12

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
9. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

—: अधिसूचना :—

रायपुर, दिनांक: 29 / 11 / 2010

क्रमांक एफ 10—33 / 2010 / 16: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:—

मुख्यमंत्री राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना, 2010" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों को मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष 1000 राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जावेगा।

(iii) राजमिस्त्री प्रशिक्षण में होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा।

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है।

(स) **स्वीकृति का अधिकार:—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त / उप संचालक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।

(द) **अन्य विवरण:—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव / अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0डी0 कुंजाम)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग